संख्या-4/2026/ 46-1002(001)/5/2025

प्रेषक,

सी. इन्दुमती,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक फरवरी,2026**

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत गैर वेतन मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मांग की जा रही धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-217/लेखा, दिनांक 21.01.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अन्तर्गत कुल प्राविधानित धनराशि रू.1300.00 लाख के सापेक्ष अवमुक्त हेतु अवशेष धनराशि रू.920.04 लाख (रू. नौ करोड़ बीस लाख चार हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के प्रस्ताव पर वित्तीय मितव्ययिता एवं वित्त के कुशल प्रबन्धन सिद्धांतो के दृष्टिगत कुल प्रस्तावित रू.920.04 लाख (रू. नौ करोड़ बीस लाख चार हजार मात्र) के सापेक्ष **धनराशि रू0 325.00 लाख (तीन करोड़ पच्चीस लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना हैं। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर को अनुदान संख्या-24 (चीनी) के अन्तर्गत 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल प्राविधानित धनराशि रू.1300.00 लाख में से कुल प्रस्तावित रू.920.04 लाख (रू. नौ करोड़ बीस लाख चार हजार मात्र) के सापेक्ष **द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 325.00 लाख (तीन करोड़ पच्चीस लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ आपके निर्वतन पर रखने हेतु मा. राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों:-

(1) उल्लेखनीय है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च 2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट में प्रावधानित धनराशि (मतदेय/भारित) के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने के संबंध में प्रस्तर-2(6) में निम्न दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है:-

'' ऐसी राज सहायतित स्वायत्तशासी संस्थायें, जिनके वचनबद्ध व्ययों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से वहन करने का दायित्व राज्य सरकार का है और उन्हें मानक मद ''20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के अन्तर्गत सहायता दी जानी है, तो संस्थाओं के पास विगत वर्ष की अप्रयुक्त अवशेष धनराशि के समायोजन करने के उपरान्त धनराशि निम्नवत अवमुक्त की जायेगी।''

'प्रस्तर-2(6)(ब) रूपये 1.00 करोड़ से अधिक तथा रूपये 4.00 करोड़ तक बजट व्यवस्था वाले प्रकरणों में धनराशि चार-चार माह के अन्तराल पर तीन किश्तों में अवमुक्त की जायेगी।

प्रस्तर-2(6)(स) में प्राविधानित व्यवस्था कि रूपये 4.00 करोड़ से अधिक बजट व्यवस्था वाले प्रकरणों में धनराशि तीन-तीन माह के अन्तराल पर चार समान किश्तों में अवमुक्त की जायेगी।'

उक्तानुसार प्रथम किश्त प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जायेगी तथा प्रथम किश्त के बाद की किश्तें संस्था को अवमुक्त किश्त का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त वित्त विभाग की सहमति से अवमुक्त की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

परन्तु यदि किसी योजना विशेष हेतु धनराशि की व्यवस्था मानक मद ''20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)'' के अन्तर्गत की गयी है तो इस प्रकार व्यवस्थित धनराशि की स्वीकृति उस योजना के गाइडलाइन्स के अनुसार जारी की जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय सहायता अनुदान के उद्देश्यों के अनुरूप किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 मार्च 2025 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया ही जायेगा। साथ ही गन्ना आयुक्त / वित्त नियंत्रक स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के पूर्व इस तथ्य की पुष्टि कर लेंगे कि गत वित्तीय वर्ष / वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सुसंगत वित्तीय नियमों/ शासनादेशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है तथा समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(3) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि उल्लिखित मदों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यय / मद में वहन नहीं किया जाएगा तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा।

(4) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैक, पी.एल.ए. अथवा पोस्ट आफिस /डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी ।

(5) निर्माण कार्य की विशिष्टियाँ मानक व गुणवत्ता आदि निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर व वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र. लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि उक्त सूची में अंकित मदों/कार्यो के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यय नहीं की जायेगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो, इस धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(6) उक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग/उपक्रम में तैनात नियंत्रक/ मुख्य/ वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त शासन / वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) स्वीकृत की जा रही उपर्युक्त धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार किया जायें। संस्था द्वारा गैर वेतन का भुगतान वित्तीय नियमों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व संस्था के निदेशक व वित्त नियंत्रक का होगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्राविधानित धनराशि अनुदान के रूप में है, जिसका व्यय निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर द्वारा वित्तीय एवं प्रशासकीय नियमों का अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।

(8) विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन कार्यों/मदों हेतु धनराशि दी जा रही है, वह धनराशि उसी प्रयोजन में व्यय की जायेगी।

(9) उपरोक्तानुसार प्राविधानित धनराशि विभागाध्यक्ष (चीनी आयुक्त) के निवर्तन पर रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलॉटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सम्बन्धित/सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(10) यदि किसी व्यय के लिए शासन स्तर से वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया जाये, तो संदर्भित व्यय के लिए आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की उपलब्धता इंगित करते हुए लेखाशीर्षक का भी उल्लेख प्रस्ताव में अंकित किया जाये।

(11) उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष (चीनी आयुक्त) इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि तत्काल अधीनस्थ कार्यालयों को आवंटित कर उसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाये।

(12) स्वीकृत की जा रही उपर्युक्त धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **धनराशि रू0 325.00 लाख (तीन करोड़ पच्चीस लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-24 के अधीन लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 108-वाणिज्यिक फसले, 03-गन्ना, 0303-उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर को सहायता के मद 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय **संख्या-**E-6-142-X-2025-26, **दिनांक** 05.02.2026 **अंकित कर दी गयी है।** वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च 2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी किये जाने के संबंध में उक्त शासनादेश में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(सी. इन्दुमती)
विशेष सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र.।
5. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र., प्रयागराज।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(दो प्रतियां)
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दुर्गा सिंह)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।